न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 01/2018

श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री घेवरचन्द, डीलर उचित मूल्य दुकान ग्राम नागेलाव तहसील पीसांगन मांगलियावास जिला– अजमेर (राज0) .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) अजमेर। .....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः– 1. श्री उत्तम गुरूबक्षानी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 26.06..2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर द्वारा विभागीय प्रकरण सं0 441/16 दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि "पीओएस मशीन से उपभोक्ताओं को सामग्री देने पर जब उनके अंगूठे व आधार कार्ड का मिलान नही होने पर लडाई झगडे की नोबत आ गई, गॉव वाले व ग्राम संरपच इकट्ठे हो गये। लडाई झगडा टालने के अंगूठे का आधार कार्ड से मिलान किये बिना ही रसद सामग्री का वितरण किया गया।" इस पर क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट डीलर एफपीएस कोड नं0 2341 द्वारा आधार कार्ड नं0 882132708807 मोहम्मद मुश्ताक अली के नाम से 22 फर्जी ट्रांजेक्शन कर 645 किग्रा0 गैहूँ, तथा महेन्द्र कुमार के आधार कार्ड नं0 317643779091 से 108 फर्जी ट्रान्जेक्शन कर 1345 किग्रा गैहूँ एवं 72 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग करना पाया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना पीसांगन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफ.आई.आर संख्या 28/17 दिनांक 20.2.2017 दर्ज कराई गई तथा एक ओर प्रकरण 517/17 दर्ज कर पुनः कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा इसका न तो जवाब प्रस्तुत किया, ना ही उपस्थित आयें। एक आधार कार्ड की आई डी का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के राशनकार्डों पर कर ट्रांन्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध है। लिहाजा विभागीय प्रकरण में कार्यालय आदेश क्रमांक 468 दिनांक 6.12.2016 के द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट को विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन का दोषी पाया जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर के आदेश दिनांक 28.03.2018 द्वारा प्राधिकार पत्र (सं0 124/1964) निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सरकार की गई। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्यतः निवेदन किया कि पिछले दो वर्षो से राज्य सरकार के खाद्य विभाग द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु पीओएस मशीन का वितरण किया गया, किन्तु इस बाबत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। पीओएस मशीन में उपभोक्ताओं के अंगूठे निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही की जानी है इस बाबत कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिये गये। जानकारी किये जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा केवल यही निर्देश दिये गये कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट द्वारा रसद सामग्री का वितरण किया गया। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया उसका उल्लेख विभागीय पत्रावली पर नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना जांच एवं बयान लिये अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना पीसांगन में एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई जिसमें पुलिस थाना पीसांगन द्वारा बाद जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्कर में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो मान0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22.3.2018 को स्वीकार की गई। इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का मौका/नोटिस दिये आक्षेपित आदेश दिनांक 28.03.2018 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट से उपभोक्ताओं को कोई शिकायत नहीं है एवं ना ही अपीलान्ट द्वारा किसी अनाधिकृत व्यक्ति को राशन सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने दुकान के उपभोक्ताओं को समय पर रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा। है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार से प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना किसी पुख्ता आधार के जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.03.2018 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड द्वारा एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण सं0 441/16 दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि "पीओएस मशीन से उपभोक्ताओं को सामग्री देने पर उनके अंगूठे व आधार कार्ड का मिलान नही होने पर लडाई झगडे की नोबत आ गई, गॉव वाले व ग्राम संरपच इकट्ठे हो गये। लडाई झगडा टालने के लिए अंगूठे का आधार कार्ड से मिलान किये बिना ही रसद सामग्री का वितरण किया गया।" जिस पर क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट डीलर एफपीएस कोड नं0 2341 द्वारा आधार कार्ड नं0 882132708807 मोहम्मद मुश्ताक अली के

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

नाम से 22 फर्जी ट्रांजेक्शन कर 645 किग्रा0 गैहूँ, तथा महेन्द्र कुमार के आधार कार्ड नं0 317643779091 से 108 फर्जी ट्रान्जेक्शन कर 1345 किग्रा गैहूँ एवं 72 लीटर केरोसीन इस प्रकार कुल 1990 किग्रा0 गैहूँ एवं 72 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग करना पाया गया। इस रिपोर्ट पर अपीलान्ट के विरूद्ध एक ओर प्रकरण 517/17 दर्ज कर पुनः कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा इसका न तो जवाब प्रस्तुत किया, ना ही उपस्थित आयें। अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना पीसांगन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफ.आई.आर संख्या 28/17 दिनांक 20.2.2017 दर्ज कराई गई। एक आधार कार्ड आई डी का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के राशनकार्डों पर कर ट्रांन्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध पाया जाने पर कार्यालय आदेश कमांक 468 दिनांक 6.12.2016 के द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। अपीलान्ट को विभागीय आदेशो एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लघंन का दोषी पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2018 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र सं0 124/1964 निरस्त कर जमा प्रतिभूति, जब्त सरकार की गई। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट तथा क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से बाद जाचं प्राप्त रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं विभागीय आदेशो एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 का भी स्पष्ट उल्लंघन पाया जाने पर ही जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र सं0 124/1964 निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2018 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner